

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालयं इलाहाबाद

सं ७१७-ई / उमरे / मुख्या / आरटीआई / विविध / धारा–4 / 2023

दिनांक 03..2024

समस्त प्रमुख / मुख्य विभागाध्यक्ष उत्तर मध्य रेलवे, मुख्यालय सुबेदारगंज, प्रयागराज

मण्डल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे झॉसी, आगरा एवं प्रयागराज मुख्य कारखाना प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे, झॉसी एवं सिथौली

20324

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी आईआर एवं राजपत्रित एवं मुख्यालय

विषयः Timeline for Third Party Transparency Audit for the year 2023-24

- . संदर्भः 1 केन्द्रीय सूचना आयोग का परिपत्र दिनांक 06.03.2024 (प्रति संलग्न)
 - 2 उप महाप्रबंधक एवं नोडल जन सूचना अधि० का पत्रांक उ.म.रे. / मुख्या. /आर.टी.आई. / विविध / 23—24 (12) दिनांक 12.03.2023
 - 2 इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.03.2023, 24.04.2023,22.05.2023 एवं 11.01.2024

केन्द्रीय सूचना आयोग के उपरोक्त पत्र (संदर्भ—1) के आधार पर Suo Moto Disclosure पर किए गए Sample ऑडिट हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग का पत्र दिनांक 06.03.2024 Third Party Transparency Audit करने हेतु इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसकी अंतिम समय—सीमा निर्धारित की गई है। जो निम्नवत् हैं:—

- 1 CIC Portel पर लोक प्राधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन फॉर्म Self Appraisal Form जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2024 है।
- 2 CIC Portel पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 15.05.2024 है।
- 3 ऑडिट रिपोर्ट पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सुझाव/अनुशंसा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 05.06.2024 है।

अतः इस संबंध में आपको पूनः अवगत कराना है कि NCR की Website पर अविलम्ब सूचना Update करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करने की व्यवस्था करें। जिससे आडिट हेतु Self Appraisal का कार्य नामित नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित समय—सीमा के अन्दर किया जा सके। इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्नक : यथोक्त

मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशा. एवं अपीलीय अधिकारी / का. शाखा

रेलवे







सामान्य प्रशासन विभाग प्रधान कार्यालय,उत्तर मध्य रेलवे, सूबेदारगंज,प्रयागराज-211015 General Administration Dept. Head Quarter Office, North Central Railway, Subedarganj, Prayagraj-211015

दिनांक 12.03.2024

अमृत महोत्सव

पत्र संख्याः उ.म.रे./मुख्या./आर.टी.आई./विविध/23-24 (12)

मुख्य कार्मिक अधिकारी/(प्रशासन) एवं अपीलीय अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज ।

Timeline for Third Party Transparency Audit for the year 2023-24.

केन्द्रीय सूचना आयोग का परिपत्र दिनांक 06.03.2024 (प्रति संलग्न) संदर्भः

केन्द्रीय सूचना आयोग के संदर्भित् परिपत्र (संदर्भ -1) द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए Third Party Transparency Audit की अंतिम समय-सीमा निम्नलिखित निर्धारित की गयी है:-

- 1. CIC Portal पर लोक प्राधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन फॉर्म (Self Appraisal Form) जमा करने की अंतिम तिथि 15.04.2024
- 2. CIC Portal पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 15.05.2024
- 3. ऑडिट रिपोर्ट पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सुझाव/अनुशंसा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 05.06.2024

चूंकि Mandatory Disclosure के स्वूमूल्यांकन (Self Appraisal) का कार्य आपके द्वारा ही किया जाना है। अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा निर्धारित की गयी अंतिम समय-सीमा से पूर्व CIC Portal पर स्वमूल्यांकन फॉर्म (Self Appraisal form) जमा करते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

2010 12.03.2024

(रजत पुरवार) उप महाप्रबंधक एवं नोडल जन सूचना अधिकारी Central Information Cor

aba	Gangi	nath.	Mar	g, Mui
	New	Delh	i 1 10	g, Mui 1067

Dated 06.03.2024

(2) अ विस्तुषा स्वित्वास्त्रा (3)

जन सत्तना प्रकोच्छ, उमरे, मुख्यालय (1) 如何 闭图...11:03.2024

(4) सन्दोल्या विभारत

CIRCULAR

SUBJECT: TIMELINE FOR THIRD PARTY TRANSPARENCY AUDIT FOR THE YEAR 2023-24.

References: 1. DoPT OM No. 1/6/2011-IR dated 15.04.2013 2. DoPT OM No. 1/6/2011-IR dated 07.11.2019

In pursuance to above referred OMs, the process of carrying out Third Party Audit exercise for the year 2023-24 through software has already been started. The timelines for the said audit exercise are as under:

The last date for submitting self appraisal form by Public Authorities (PAs) on CIC's portal is 15.04.2024.

The last date for submitting audited report by training institutes

on CIC's portal is 15.05.2024.

The last date for offering the advice/recommendations by the iii. Commission on the audit reports received is 05.06.2024.

Further, the Pas may please refer para 6.1 of the OM-at-reference-2 above, wherein, the Ministries/Departments have been directed for mandatory inclusion of details about compliance with proactive disclosure guidelines in the relevant chapter in Annual Report. Accordingly, in view of laying of the Annual Reports ·for the the Table of the House, all the PAs are requested to complete the process of carrying out subject audit exercise strictly as per the above schedule.

In case of need for any clarification, Shri Pawan Kumar Ram, Section Officer (Law), Shri Yogesh Kumar Gautam, Senior Assistant (Law) and Shri Rajeev Kumar Sah, Sr. Software Support Engineer, CIC may be contacted on 011-26181928, 011-26716023 and 011-26107030, respectively.

> (Ajitkumar Sontakke) Joint Secretary (Law)

To,

- 1. All the Public Authorities
 - 2. All Deputy Registrars of the Registries of the Commission